

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 14.09.2020

थाना डेरापुर

दिनांक 13.09.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 227/2020 धारा 498ए/304बी/ भा0द0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त रजनी देवी उर्फ प्रभा देवी को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 13.09.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 275/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम में अभियुक्त रामचन्द्र आदि 04 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रसूलाबाद

दिनांक 13.09.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 667/2020 धारा 452/323/504/506/354/34/427 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त रफीक को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 13.09.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 670/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम में अभियुक्त रामचन्द्र आदि 04 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना भोगनीपुर

दिनांक 13.09.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 447/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त राजेश तिवारी को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 13.09.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 449/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त राजकुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना अकबरपुर

दिनांक 13.09.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 720/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त अकील उर्फ मातू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

धारा 151 द0प्र0सं0

दिनांक 14.09.2020 को जनपदीय पुलिस रसूलाबाद 02, बरौर 01, भोगनीपुर 02, शिवली 04, मंगलपुर 04, देवराहट 02, गजनेर 05, अकबरपुर 05, सिकन्दरा 02 अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

डायल 112 - निल